-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ **थाना कमासिन पुलिस द्वारा नकली पेय पदार्थ बनाकर बिक्री करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे मशीनें, निर्मित व कच्चा माल बरामद।**

विवरण-पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमासिन पुलिस द्वारा नकली पेय पदार्थ बनाकर बिक्री करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 15.09.2025 को थाना कमासिन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम जामू में दबिश देकर अभियुक्त लवकुश सिंह पुत्र शिववरन सिंह निवासी ग्राम जामू थाना कमासिन को गिरफ्तार किया कर लिया गया। अभियुक्त अवैध रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नकली पेय पदार्थ तैयार कर बिक्री करने का कार्य कर रहा था। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह मशीनें एवं कच्चा माल कानपुर से खरीद कर लाता था तथा यूट्यूब पर देखकर नकली पेय पदार्थ/केमिकल जूस बनाना सीखकर बिना एक्सपायरी डेट अंकित किए तैयार पेय पदार्थ वह आस-पास के बाजार क्षेत्रों में बेचता था। ऐसा करने से केमिकल युक्त जूस को लंबे समय तक बाजार में बेचना संभव हो जाता था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कमासिन में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लवकुश सिंह पुत्र शिववरन निवासी ग्राम जामू थाना कमासिन जनपद बांदा।

बरामदगी-

1. 01 अदद पेय पदार्थ बनाने वाली मशीन
2. 01 अदद पैकिंग करने वाली मशीन
3. 05 अदद तैयार नकली पेय पदार्थ
4. 11 अदद सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट मिक्स (खुले पैकेट)
5. 02 अदद Nurish Hardner (खुले पैकेट)
6. 03 अदद Nurish Hardner (बंद पैकेट)
7. 02 अदद Berry Nutly Sweetner
8. लगभग 02 हजार अदद पैकिंग पाउच

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 दीपक कुमार सैनी
2. उ0नि0 अनुराग सिंह
3. कां0 अनुज कुमार यादव